

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त(नियम)/2008 दिनांक: 12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ.11(7)/वित्त(नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक: 06.10.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याता-आरवीआरईएस) को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित केरियर प्रगति) वेतन बेण्ड (9300-34800)/(15600-39100)/पे मैट्रिक्स लेवल, कॉलम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन एवं लेवल संख्या, कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती (राउमावि))	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आरती गुप्ता, हैलेना, वैर (भरतपुर)	27.11.73	भौतिक	10.05.98	अनुदानित से स्क्रीण्ड	20 वर्ष	L-14	10.05.18

पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 एवं नियम 2017 के तहत इनका वेतन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा । वेतन निर्धारण सम्बन्धित व्याख्याता का एसीपी (आश्वासित केरियर प्रगति) स्वीकृति तिथि (कॉलम संख्या-9 में अंकित तिथि) को पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 में पूर्व में प्राप्त किये जाने वाले वेतन की 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि एवं ग्रेड वेतन की अन्तर राशि जोड़कर किया जावेगा तथा पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार किया जावेगा । निर्देशानुसार इन्हें दिनांक: 01.07.2011 से पूर्व का एरियर राज्य सरकार द्वारा देय नहीं है । इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे ।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/एसीपी/भौगक/आरवीआरईएस/वो-11/2018

दिनांक: 20/12/18

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (माध्यमिक), संभाग मुख्यालय
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/11)
5. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
7. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त(नियम)/2008 दिनांक: 12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ.11(7)/वित्त(नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक: 06.08.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याता) को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित केरियर प्रगति) वेतन बेंड (9300-34800)/(15600-39100)/पे मैट्रिक्स लेवल एवं कॉलम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन एवं लेवल संख्या, कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती (राउमावि)	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कमलेश जांगिड़, खण्डार (स.माधोपुर)	04.09.70	भौतिक	08.10.97	डीपीसी	20 वर्ष	5400	08.10.17
2.	मनसुखराम, राजगढ़ (चुरु)	20.11.65	गणित	16.11.87	डीपीसी	30 वर्ष	L-14	16.11.17

पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 एवं 2017 के तहत इनका वेतन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा । वेतन निर्धारण सम्बन्धित व्याख्याता का एसीपी (आश्वासित केरियर प्रगति) स्वीकृति तिथि (कॉलम संख्या-9 में अंकित तिथि) को पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 में पूर्व में प्राप्त किये जाने वाले वेतन की 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि एवं ग्रेड वेतन की अन्तर राशि जोड़कर किया जावेगा तथा पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार किया जावेगा । इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे ।



(नथमल डिडेल)

I.A.S.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 28/12/18

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/एसीपी/भौगक/2015

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (माध्यमिक), संभाग मुख्यालय
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II)
4. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
6. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान